फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री कान्तिलाल उपाध्याय
जाति उपाध्याय
निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 67 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.11.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 26.07.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला निष्पादक समिति सिरोही द्वारा जारी आदेश क्रमांक 421 दिनांक 30.08.2021 की प्रति एवं उक्त आदेश के तहत आठ अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति साक्षर योजना के अन्तर्गत ब्लॉक समन्वयक हेतु की गई थी तथा किस आदेश के तहत इनकी प्रतिनियुक्ति निरस्त कर पुनः मूल विभाग पर भेजी गई। उक्त निरस्त प्रतिनियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रति एवं दिनांक 03.12.2015 को जारी आदेश क्रमांक जि.सा.स.शि/सि/संस्था/2015/458–63 की प्रमाणित प्रति एवं उक्त आदेश को जारी करने हेतु कार्यालय प्रोसेडिंग की दस्तावेज सहित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 26.07.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला निष्पादक समिति सिरोही द्वारा जारी आदेश क्रमांक 421 दिनांक 30.08.2021 की प्रति एवं उक्त आदेश के तहत आठ अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति साक्षर योजना के अन्तर्गत ब्लॉक समन्वयक हेतु की गई थी तथा किस आदेश के तहत इनकी प्रतिनियुक्ति निरस्त कर पुनः मूल विभाग पर भेजी गई। उक्त निरस्त प्रतिनियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रति एवं दिनांक 03.12.2015 को जारी आदेश क्रमांक जि.सा.स.शि/सि/संस्था/2015/458–63 की प्रमाणित प्रति एवं उक्त आदेश को जारी [illegible] की दस्तावेज सहित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। उपरोक्त [illegible] लो[illegible] सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक [illegible] दिनांक 24.09.2021 द्वारा अपीलांट को सूचना उप[illegible] अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुम[illegible]होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:17:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner